राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर
ई–मेल:adpension.sje@rajasthan.gov.in दूरभाष: 0141– 2740637

क्रमांक :–एफ.9(05)(12–II)सासुपें/पेंशन नियम/सान्याअवि/2014–15/15716 जयपुर दिनांक 23/1/2020

कार्यालय आदेश

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (DBT) के माध्यम से पेंशन राशि का भुगतान उनके संबंधित बैंक खातों में किया जा रहा है।

कतिपय प्रकरणों में बैंक शाखा, बैंक का आउटलेट, एटीएम (ATM) अथवा बिजनैस–कॉरेसपोंडेण्ट्स (बीसी) सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के निवास स्थान से अत्यधिक दूर हैं अथवा बिजनैस–कॉरेसपोंडेण्ट्स (बीसी) पूरे समय अपने पास समुचित/पर्याप्त धनराशि नहीं रखते हैं, जिससे पेंशनर्स को पेंशन राशि के आहरण में कठिनाई होती है।

अतः समस्त जिला कलेक्टर्स से निम्नांकित कार्रवाई अपेक्षित है:–

1. वर्तमान में जिले में जिन स्थानों पर अभी भी बिजनैस–कॉरेसपोंडेण्ट्स (बीसी) के माध्यम से 2–3 किलोमीटर में पेंशनर्स को बैंकिग सुविधा का कवरेज उपलब्ध नहीं है, वहां जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी (DLBC) में विचार–विमर्श कर बिजनैस–कॉरेसपोंडेण्ट्स (बीसी) की नियुक्ति करवाया जाना सुनिश्चित करें।

2. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत दी जा रही पेंशन में और अधिक पारदर्शिता एवं समयबद्धता लाने के लिए प्रतिमाह प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर निश्चित तारीख पर संबंधित बैंको के प्रतिनिधि/बिजनैस–कॉरेसपोंडेण्ट्स (बीसी) की उपस्थिति सुनिश्चित कर पेंशन आहरण शिविरो का आयोजन किया जाए, जिससे सामाजिक सुरक्षा से संबंधित पेंशनर्स अपनी सुविधानुसार अपनी पेंशन राशि को अपने बैंक खाते से आहरित कर सकें।

उपर्युक्त प्रकार से पेंशन के भुगतान हेतु नियत की गई तारीख का व्यापक प्रचार–प्रसार करवाया जाएं ताकि बैंकिग सुविधा प्राप्त स्थानों से दूर रहने वाले पेंशनर्स इस सुविधा का अधिकाधिक लाभ ले सकें।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

Scanned by CamScanner

15717-16217

क्रमांक :–एफ.9(05)(12–II)सासुपें / पेंशन नियम / सान्याअवि / 2014–15 / जयपुर दिनांक 23/1/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त (समस्त) / जिला कलक्टर (समस्त)।
7. समस्त उपखण्ड अधिकारी / विकास अधिकारी।
8. समस्त उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
9. आदेश पत्रावली।

23-01-2020

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

Scanned by CamScanner